Attchement-2.3

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

परियोजना विवरण :— जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत विरमोला— रायल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

आज दिनाँक 4—11—2015 को प्रा0ख0,लो0नि0वि0, चम्पावत (एजेन्सी का नाम) के द्वारा जनपद विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत विरमोला— रायल बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री तिलक चन्द्र जोशी वनदरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री पुष्कर नाथ राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री आर0एस0मेहता कनिष्ठ अभियन्ता, श्री कैलाश चन्द्र पन्त अमीन एवं दावेदारों की ओर से श्री प्रेम प्रशाद प्रधान रायल के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 400 (मी0) नाप भूमि. से, 3600 (मी0) सिविल भूमि एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.28 हे0, नाप भूमि 2.52 हे0 सिविल भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.853 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 58 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 100 (मी0) नाप भूमि से,4900 (मी0) सिविल भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.07 हे0 नाप भूमि 3.43 हे0 सिविल भूमि की आवश्यकता होगी जिनमें से कुल 3.43 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 102 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि पर कोई प्रजाति के वन नहीं हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति के .वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन......0.3...... है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल विरमोला का GPS मान N- 29° 16'' 51.96' E 80° 17''17.70' है तथा समरेखन का अन्तिम स्थल रायल जिसका GPS मान N 29° 14' 6.36'' E 80° 17' 15.56'' है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/नही है । चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नही होगा । नहीं होगा।

इस समरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 4 स्थल सिविल, भूमि में प्रस्तावित की गयी है जिनका GPS मान संलग्न है।

अन्य आवश्यक विवरण :— उपरोक्तानुसार इस मार्ग में पड़ने वाले 2.643 हे0 वनभूमि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है। वनभूमि प्राप्त होने के पश्चात इस मार्ग का निर्माण कार्य कराया जायेगा। यह मार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है

नोट— इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली गयी हैं।

हस्ताक्षर (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (वन विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	उपजिलाधिकारी चम्पावत	जिलाधिकारी चम्पावत

सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० चम्पावत

वन क्षेत्र अधिकारी

तहसीलदार तहसील–चम्पावत

वन प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

Attchement-2.3

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत विरमोला रायल मोटर मार्ग का नवनिर्माण लं० 5.00 कि०मी०

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 4-11-2015 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री तिलक चन्द्र जोशी वन दरोगा राजस्व विभाग की ओर से श्री पुष्कर नाथ रा०उ०निरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राम सिंह महेता क० अभियन्ता एवं श्री कैलाश चन्द्र पन्त अमीन द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि × हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.52 हे0, वन पंचायत भूमि × हे0 एवं नाप भूमि 0.280 हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है) ×

×

×

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

जिलाधिकारी
चम्पावत

ह0/--
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
अमीन

JE

ह0/--
नाम
राजस्व उप निरीक्षक सिमियाउरी
तहसील
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

ह0/--
वन विभाग प्रतिनिधि

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत रानि

तहसीलदार
तहसील–चम्पावत

उपजिलाधिकारी
चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत